विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

*न्यायमूर्ति एन.के.जैन

राज्य सरकार ने हर एक विधायक को वितिय वर्ष 1999– 2000 से विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। वर्तमान में रूपये साठ लाख (रूपये 60लाख) प्रत्येक विधायक के लिए आवंटन किये है। जिससे वो अपने विधान सभा क्षेत्र में जनोपयोगी कार्य के लिए अपने प्रस्ताव द्वारा जिला परिषद् विकास प्रकोष्ठ के माध्यम से सलंग्न परिशिष्ट – 1 में अंकित किसी भी कार्य के लिए कर सकता है। जिसके निष्पादन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य के प्रभावित क्षेत्र की जिला कलेक्टर की होगी ।

राजस्थान विधान सभा की माननीय अध्यक्षा, श्रीमती सुमित्रा सिंह, राज्य के गृहमंत्री माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, कांग्रेस के विधायक माननीय श्री डॉ. बी.डी.कल्ला ने **आयोग द्वारा** प्रकाशित संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र की विकास योजना की सराहना करते हुए **कहा कि पुस्तिकायें मानव अधिकारों को जानने, उनकी रक्षा व संरक्षण के लिए उपयोगी होंगी**। आयोग से **यह भी** अपेक्षा की **कि** विधायकों के कोष द्वारा किये **जाने वाले** जनोपयोगी **कार्यो** के बारे में भी **जानकारी** जनहित में प्रकाशित करने के लिए प्रयास करें।

ग्रामीण विकास विभाग से आयोग ने संबंधित स्कीमों के बारे में दिशा–निर्देश की जानकारी ली है। जिनमें खास–खास व मुख्य बातें नागरिकों के उपयोग हेतु जनहित दी जा रही है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संक्षिप्त दिशा निर्देश

विधान सभा सदस्यों को उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विधायको की अभिशंषा प्रकृति के छोटे–छोटे विकासात्मक निर्माण कार्यों को कराने के उद्देश्य से ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की संकल्पना, कार्यान्वयन तथा प्रबोधन के सम्बन्ध में इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ (40) एम.एल.ए / ग्रुप–6 / 2000 जयपुर, दिनांक 3 / 2 / 2000 में विस्तृत

दिशा निर्देश जारी किए गये। इन दिशा निर्देशों को पत्र क्रमांक : एफ. 14 (40) एम.एल.ए.ग्रुप – 6 / 2000 जयपुर, दिनांक 3 / 2 / 2003 को संशोधित किया गया। इस योजना के दिशा निर्देशों में समय–समय पर किए गए परिवर्तन तथा संशोधनों को सम्मिलित करते हुए योजना के सम्बन्ध में जारी सभी पूर्व निर्देशों के अतिक्रमण में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संशोधित दिशा निर्देश इस परिपत्र के द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं।

योजना के उद्देश्य –

स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय / पंचायतीराज संस्था / स्थानीय स्वायतशाषी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण कराना।

क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करना ।

स्थानीय समुदाय में स्वालम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना।

योजना की विशेषताएं एवं स्वीकृति हेतु कार्य प्रस्ताव

वर्तमान में प्रति वर्ष विधान सभा क्षेत्र 60.00 लाख रूपयों का आवंटन निर्धारित हैं। जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में प्रेषित करेंगे जो स्थापित प्रक्रियाओं कराये जा सकेंगे।

अभिशंषित राशि के कार्य निष्पादन की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य के प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर की होगी ।

प्रभावित क्षेत्र के जिला कलेक्टर निम्नलिखित को भी सुनिश्चित करेंगेः–

(अ) सुनामी प्रभावित क्षेत्र में कार्य का निष्पादन और समापन।

(ब) इस विभाग और सम्बन्धित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व सम्पूर्ण राशि के उपयोग पर उपयोगी प्रमाण पत्र एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजना।

(स) उन विधायकों को प्रगति के सम्बन्ध में सूचित करना, जिन्होंने प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास हेतु अशंदान किया हैं।

विशेष परिस्थितियों में 10.00 लाख रूपये से अधिक वाले प्रति कार्य की स्वीकृति जारी करने से पूर्व कार्य की प्रस्तावित लागत मा. विधायक की अभिशंषा, कार्यकारी एजेन्सी का नाम, नक्शा एवं कार्य की उपयोगिता के सम्बन्ध में जिला परिषद् अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्ताव कर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट – 1

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने अनुमत कार्यों की सूची

राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति के पंचायतीराज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निष्पादित कराये जा सकेंगेः–

1. समग्र ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य ।
2. पेयजल के कार्य ।
3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा मे सड़क (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट) खरंजा एवं नाली निर्माण।
4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य ।
5. (अ) चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन
   (ब) शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर/अध्ययन–अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी।
   (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिए कम्प्यूटर ।
   (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर
6. ग्रेवल/डब्लू.बी.एम./डामर/सीमेन्ट सड़क का कार्य।
7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/डिस्ल्टींग का कार्य ।
8. पारम्परिक जल स्त्रोतों के विकास के कार्य ।
9. गांवों के सम्पर्क सडकों/ रास्तों के लिए पुलिया/रपट का कार्य ।
10. पर्यटन स्थलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का कार्य ।
11. पशुधन के लिए पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य ।
12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य।

13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स।
    (ब) पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था।
    (स) रेड क्रास /राम कृष्ण जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स।
14. श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य
15. पुस्तकालय भवन/बस स्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/वाल्मिकी भवन/ सामुदायिक भवन।
16. विघुतिकरण
17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य ।
18. चारदिवारी निर्माण।
19. स्पोर्टस काम्पलेक्स।
20. जनोपयोगी कार्य ।
21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव में अपूर्ण कार्य।
22. जिला परिषदों (ग्रामीण प्रकोष्ठ)/पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन/कम्प्यूटर।
23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना।
24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन/कार्यालय भवन/पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य ।
25. इलक्ट्रोनिक परियोजनायेः
    (अ) सूचना फुटपाथ (ब) माध्यमिक विद्यालय
    (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो (द) गंथ सूची –डाटा बेस परियोजनायें ।
26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजल सिस्टम।
27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण ।
28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत

विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती हैं।

29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती हैं।
30. जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलेक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे।
31. राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें।
32. राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर, कम्बल एवं गद्दे।
33. राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मदद अकाल राहत दिये जाने की शर्ते पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जा सकेंगे।
34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय/ उप अधीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिंटर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ति व्यय)
35. उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती)

परिशिष्ठ – 2

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची

1. अनुदान एवं ऋण
2. वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति।
3. वस्तु/सामान की खरी।
4. भूमि के अधिकग्रहण एवं अधिकग्रहित भूमि के लिए मुअवजा।
5. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।
6. धार्मिक पूजा स्थल ।

आयोग की अपेक्षा है कि माननीय विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए अवांटित राशि का पूरा उपयोग अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से क्षेत्र को विकसित कर जनता में खुशहाली लाए तथा उन कार्यों व खर्चों का विवरण भी अपने क्षेत्र की जनता की जानकारी में हो तथा संबंधित कलेक्टर भी इस तरह किए गए कार्य को जनता में उजागर करने में मदद करें ।

मानव अधिकारों के प्रति साक्षरता, जागरूकता में निरन्तरता के क्रम में आयोग के लीगल लिक्ट्रेसी एवं अवेयरनेस के प्रोग्राम में बाहरवीं बुकलेट के माध्यम से जनहित में प्रकाशित की जा रही है। आशा है आयोग के इस प्रयास से ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपने क्षेत्र के विधायक से "विधायक कोष" के माध्यम से इसका फायदा अपने क्षेत्र के विकास के लिए लेगें ।

इसके अलावा अधिक जानकारी ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से ली जा सकती है। क्रमांक : एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप – 6/2000 दिनांक 16 सितम्बर, 2005

20.10.2006 ❑ ❑

* अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट। आर-3, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302 005

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 12/2006

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.

*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.

8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।
    - (ix) दलितों के अधिकार।
    - (x) मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
    - (xi) गिरफ्तारी (Arrest)
    - (xii) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
    - (xiii) जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ

©

STATES HUMAN RIGHT CHAIRPERSON NAME, PHONE NO. & ADDRESS LIST

S.No	Chairperson Name	State	Address	Phone No.	E-Mail Address
	Hon'ble Dr. Justice A.S. Anand	NHRC, New Delhi	NHRC, Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi 110001	91-11-23382514	chairnhrc@nic.in
1.	Justice Shri B. Subhashan Reddy	Andhra Pradesh	"Gruhakalpa" M.J. Road, Hyderabad - 500001	040- 24601574	umanrights@ap.nic.in
2.	Justice Shri Sailendu Nath Phukan	Assam	Statfed H.O. Building, Bhangagarh Guwahati - 781005	0361-2527076	hrca@sancharnet.in
3.	Justice Shri Ali Mohammad Mir	Jammu & Kashmir	Dawn Building, Dalgate, Srinagar- 11901	0194- 2454046	
4.	Justice Shri V.P. Mohan Kumar Acting Chairperson	Kerala	M.P. Appan Road, Vazhuthacaud Thiruvananthapuram - 695014	0471- 2337145	kshrctvpm@vsnl.net
5.	Justice Shri D.M. Dharmadhikari	Madhya Pradesh	Paryavas Bhawan, Arera Hills, Jail Road, Bhopal - 462001	0755- 2764505	mphrc@sancharne.in
6.	Shri C.L. Thool Acting Chairperson	Maharashtra	9, Hajarimal Somani Marg, Near CST Railway station, Mumbai- 400001	022- 22078962	
7.	Justice Shri W.A. Shishak	Manipur	Courts Complex, Lamphel, Imphal - 795004	0385 - 2410473	mhrc@man.nic.in
8.	Justice Shri D.P. Mohapatra	Orissa	Orissa State guest house, Room No. 1,2,3,4 Ground Floor, Bhubaneswar, Orissa	0674- 2563746	2405094
9.	Justice Shri R.L. Anand Acting Chairperson	Punjab	SCO No. 20,21,22, Sector 34A, Chandigarh - 160001	0712 - 2600501	
10.	Justice Thiru S. Thangaraj Acting Chairperson	Tamil Nadu	Justice Pratap Singh Maaligai , 2nd floor, No. 35, Vi-Ka-Salai. Royapettah, Chennai – 600014	28114405	
11.	Justice Shri A.P. Mishra	Uttar Pradesh	1/183, Vineet Khand Gomati Nagar, Lucknow - 226010	0522- 2726742	phrc@sancharnet.net
12.	Justice Shri Shymal Kumar Sen	West Bengal	Bhabani Bhawan, Alipore Kolkata - 700027	033 - 24797259	bhrc@cal3.vsnl.net.in
13.	Shri Lal Jayaditya Singh Acting Chairperson	Chhatisgarh	Near Mantralaya, Raipur- 492001	0771 - 2235524	cghrcryp@sify.com
14.	Justice Shri N.K. Jain	Rajasthan	State Secretariat, S.S.O. Building Jaipur-302005	0141- 2227868	rshrc@raj.nic.in

गिरजा व्यास
अध्यक्षा
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 91-11-23237166, 23236988
फैक्स : 91-11-23236154, शिकायत प्रकोष्ठ : 91-1123219750

अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग
पांचवी मंजिल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110011

श्रीमती तारा भण्डारी
अध्यक्षा
राज्य महिला आयोग
गाँधी नगर मोड, टोंक रोड, जयपुर

श्री एस. एन. गुप्ता
अध्यक्ष
जन अभाव अभियोग निराकरण समिति
मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर

अध्यक्ष
राज. राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग
एस. एस. ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

अध्यक्ष
राज. राज्य अल्पसंख्यक आयोग
शासन सचिवालय, जयपुर

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।
(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।
(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।
(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।
(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।
(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।
(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।
(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का पुर्नसंगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सीरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव
	श्री रामजीलाल मीणा	उप-सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर
टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)
2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)
E-mail : rshrc@raj.nic.in, Website : www.rshrc.nic.in